भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 693

गुरुवार, 07 दिसंबर, 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सबरीमाला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

693. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के कोट्टायम जिले के सबरीमाला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी के लिए केरल राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी से अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या उक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए कार्यान्वयन एजेंसी से कोई रिपोर्ट मांगी गई है और यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ङ): केरल सरकार के उद्यम, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अंतर्गत जून, 2020 में नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को केरल स्थित कोट्टायम (सबरीमाला) में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए 'साइट क्लीयरेंस' प्रदान करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

केएसआईडीसी के प्रस्ताव पर जीएफए नीति, 2008 के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और केएसआईडीसी के परामर्श से विचार किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन महानिदेशालय की टिप्पणियों के आधार पर, केएसआईडीसी से एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (टीईएफएस) रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। अंतिम टीईएफएस रिपोर्ट केएसआईडीसी द्वारा जून, 2022 में प्रस्तुत की गई थी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन महानिदेशालय के परामर्श से उस पर विचार किया गया था।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों पर संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने 13.04.2023 को कोट्टायम (सबरीमाला) में एक अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए केएसआईडीसी को साइट क्लीयरेंस प्रदान कर दिया है और ग्रीनफील्ड

हवाईअड्डा नीति के अनुसार केएसआईडीसी से दूसरे स्तर अर्थात 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया है।

******